**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं० 855**

**दिनांक 17.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**ग्रामीण घरों को पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराना**

**855. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः**

**श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः**

**श्री बिद्युत बरन महतोः**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप के द्वारा पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन में कोई समस्या आ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मिशन के लिए बजटीय आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) मिशन के तहत महाराष्ट्र में कितने घरों में पाइप के द्वारा पीने योग्य पानी प्राप्त हुआ है; और

(ङ) सरकार द्वारा समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं?

**उत्तर**

**जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री रतन लाल कटारिया)**

**(क)** वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के सेवा स्तर पर पीने योग्य पानी प्राप्त करने हेतु देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को समर्थ बनाने के लिए, भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर 3.60 लाख करोड़ के अनुमानित परिव्यय से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का क्रियान्वयन कर रही है।

**(ख)** कोविड़-19 महामारी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है।

**(ग)** वर्ष 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत जारी केंद्रीय आबंटन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में है।

**(घ)** महाराष्ट्र राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 14.09.2020 तक संपूर्ण राज्य के 142.36 लाख ग्रामीण परिवारों में से 64.21 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

**(ङ)** समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

i. प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को सलाह दी गई है कि वे नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष-वार योजना सहित "राज्य कार्य योजना" तैयार करें।
ii. केन्द्रीय मंत्री की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक सहित कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करती है।
iii. जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्य संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पात्र राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
iv. भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अनुसरण में और ग्रामीणों के मध्य स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए ग्राम पंचायत अथवा इसकी उप-समिति/ उपयोक्ता समूह अर्थात् ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी), पानी समिति आदि द्वारा गांव की जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन एवं रख-रखाव किया जाता है। अतः जल जीवन मिशन एक मांग आधारित, विकेन्द्रित, समुदाय प्रबंधित कार्यक्रम है।

*****

**अनुबंध**

**दिनांक 17-09-2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 855 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

वर्ष 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय आबंटन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2020-21 |
|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2.93 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 790.48 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 254.85 |
| 4. | असम | 1,408.51 |
| 5. | बिहार | 1,839.16 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 445.52 |
| 7. | गोवा | 12.41 |
| 8. | गुजरात | 883.08 |
| 9. | हरियाणा | 289.52 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 326.2 |
| 11. | जम्मू एवं कश्मीर | 681.77 |
| 12. | झारखंड | 572.24 |
| 13. | कर्नाटक | 1,189.40 |
| 14. | केरल | 404.24 |
| 15. | लद्दाख | 352.09 |
| 16. | मध्य प्रदेश | 1,280.13 |
| 17. | महाराष्ट्र | 1,828.92 |
| 18. | मणिपुर | 131.8 |
| 19. | मेघालय | 174.92 |
| 20. | मिजोरम | 79.3 |
| 21. | नागालैंड | 114.09 |
| 22. | ओडिशा | 812.15 |
| 23. | पुडुचेरी | 4.64 |
| 24. | पंजाब | 362.79 |
| 25. | राजस्थान | 2,522.03 |
| 26. | सिक्किम | 31.36 |
| 27. | तमिलनाडु | 921.99 |
| 28. | तेलंगाना | 412.19 |
| 29. | त्रिपुरा | 156.61 |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 2,550.94 |
| 31. | उत्तराखंड | 362.58 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 1,614.18 |

स्रोत: आईएमआईएस, डीडीडब्ल्यूएस